राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

खण्डपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1482/2019

1. अधिशाषी अभियंता, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, आईजीएनपी, रावतसर।

2. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के माध्यम से राजस्थान राज्य।

--------अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रामेवश्वर लाल मानाराम, सर्वोदय बस्ती, विश्वकर्मा मंदिर के पीछे, बीकानेर।

प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री धैर्यादित्य सिंह राठौड़ के साथ
		श्री पंकज शर्मा, एएजी
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री शशांक जोशी के साथ
		श्री हरीश कुमार पुरोहित

माननीय न्यायमूर्ति अरुण बंसल

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

निर्णय

28/04/2023

रिपोर्टेबल

(माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना)

1. वर्तमान अपील सिविल विविध 'ए' केस संख्या 46/2018 (एनसीवी संख्या 32/2018) में वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर (इसके बाद 'निचले अदालत' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2019 के खिलाफ दायर की गई है। जिसके तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में '1996 का अधिनियम') की धारा 34 के तहत अपीलार्थी-सरकार द्वारा दिनांक

04.12.2014 को पारित पंचाट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गईं, जिन्हें विद्वान मध्यस्थ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। निर्णय के तहत, विद्वान मध्यस्थ ने आवेदक-फर्म के पक्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ मूल्य वृद्धि के लिए 25,42,748/- रुपये की राशि का निर्णय सुनाया था और काउंटर गैर-आवेदक राज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे को अस्वीकार कर दिया है।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

साहवा केएम 63.200 में पंपिंग स्टेशन 3 के निर्माण कार्य के लिए फर्म मैसर्स रामेश्वर लाल मानाराम और सरकार के बीच एक समझौता किया गया था।" दिनांक 27.10.1997 के कार्य आदेश के तहत आवेदक-फर्म को 1,41,52,086/- रुपये का काम सौंपा गया था और काम पूरा करने की निर्धारित अवधि 18 महीने थी। कार्य की प्रगति के दौरान फर्म को 69,17,847/- रूपये का अतिरिक्त कार्य भी आवंटित किया गया। पूरा काम 18 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और वास्तव में 05.04.2003 को पूरा किया गया। इसके बाद फर्म ने समय विस्तार के लिए आवेदन किया और दिनांक 06.11.2003 के आदेश के तहत, विभाग द्वारा निविदा राशि के 0.10% के जुर्माने के साथ पूरा होने की तारीख अर्थात 05.04.2003 तक समय विस्तार प्रदान किया गया। इन परिस्थितियों में, फर्म ने मूल्य वृद्धि के लिए ब्याज सहित 25,42,748/- रुपये की राशि का दावा किया। जब फर्म के अनुरोध/दावे को स्वीकार नहीं किया गया, तो उसने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की प्रार्थना की और 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत उसके आवेदन पर, दिनांक 08.11.2013 के आदेश के तहत, विवाद के निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

3. विद्वान मध्यस्थ के समक्ष आवेदक-फर्म द्वारा निम्नलिखित दो दावे उठाए गए थे:

(i) मूल्य वृद्धि के लिए रु. 25,42,748/- और

(ii) 21.09.2005 से 20.01.2014 तक मूल राशि पर ब्याज के रूप में 22,37,618/- रुपये+पेंडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज।

4. फर्म के दावे के उत्तर में, राज्य विभाग द्वारा कार्य के निष्पादन में देरी के कारण राज्य को हुई क्षति/नुकसान के लिए 16,24,860/- रुपये की राशि का प्रतिदावा उठाया गया था। बाद में इसे संशोधित कर 1,59,45,028/- रुपये कर दिया गया।

5. दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों के आधार पर, विद्वान मध्यस्थ द्वारा निम्नलिखित नौ मुद्दे तय किए गए:

"1. क्या आवेदक फर्म पंजीकृत साझेदारी फर्म है या नहीं?

.....आवेदक

2. क्या आवेदक फर्म ने अनुबंध की धारा-2 के तहत यथानुपात प्रगति नहीं दी? यदि नहीं तो दावे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

.....गैर-आवेदक

3. क्या आवेदक अनुबंध के खंड 45 और 45-ए के तहत आवश्यक निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहा?

.....गैर-आवेदक

4. क्या प्रत्यर्थीगण ने 09.11.1997 से 08.11.2000 की अवधि के लिए आवेदक को मूल्य वृद्धि का लाभ दिया था। यदि हाँ तो उसका प्रभाव क्या है?

.....आवेदक

5. क्या आवेदक ने समय विस्तार के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए समय विस्तार के विवरण पर सहमति दी थी?

..... गैर-आवेदक

6. क्या नाममात्र का जुर्माना आवेदक को समझौते के खंड-45 और 45-ए के तहत मूल्य वृद्धि के लाभ से वंचित कर देता है....?

.....गैर-आवेदक

7. क्या आवेदक प्रत्यर्थीगण को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जैसा कि प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रतिदावे में दावा किया है..?

..... गैर-आवेदक

8. क्या आवेदक देय राशि पर ब्याज पाने का पात्र है? यदि हाँ, तो किस अवधि तक एवं किस दर पर ?

.....आवेदक

9. राहत...?"

6. विद्वान मध्यस्थ ने आवेदक-फर्म के पक्ष में मुद्दा संख्या 4 को छोड़कर सभी मुद्दों पर निर्णय लिया और परिणामस्वरूप, आवेदक-फर्म के पक्ष में ऊपर उल्लिखित निर्णय पारित कर दिया। आवेदक के पक्ष में उक्त पंचाट के खिलाफ और उसके प्रतिदावे की अस्वीकृति से व्यथित होकर, राज्य विभाग ने वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां दर्ज कीं, जिन्हें दिनांक 25.01.2019 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है। जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी-सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री पंकज शर्मा ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने प्रश्नगत मामले के तथ्यों पर गौर किए बिना और विश्लेषण किए बिना, सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों को पूरी तरह से सरसरी तरीके से खारिज करने में गलती की है। विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया है और इसलिए, दिया गया आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

8. जहां तक विवादित निर्णय का प्रश्न है, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि समझौते के खंड 45 के संदर्भ में विद्वान मध्यस्थ द्वारा फर्म के पक्ष में मूल्य वृद्धि का निर्णय दिया गया है, जबकि खंड 45 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा, कि यह वर्तमान मामले में भी लागू नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि खंड 45 में 3 निहित शर्तें शामिल हैं: सबसे **पहले**, संविदा की निर्धारित अवधि 12 महीने से अधिक होनी चाहिए; **दूसरे**, काम का मूल्यांकन 1 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए। और **तीसरा**, ठेकेदार की ओर से बिना किसी देरी के काम

निर्धारित/विस्तारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसमें, माना जाता है कि, 55 दिनों की देरी ठेकेदार के लिए जिम्मेदार थी और इसलिए, खंड 45 की सभी शर्तें पूरी नहीं होने के कारण, खंड लागू नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि काम पूरा होने में देरी किसकी जिम्मेदारी थी, यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा तय भी नहीं किया गया था और इस विशिष्ट पहलू पर कोई निष्कर्ष विद्वान मध्यस्थ द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, इस विशिष्ट निष्कर्ष के अभाव में कि देरी किसकी जिम्मेदारी थी, खंड 45, जो पहले से मानता है कि किसी भी देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, को लागू नहीं माना जा सकता था।

9. अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया अगला आधार यह है कि मुद्दे को साबित करने का बोझ विद्वान मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से गैर-आवेदकों-राज्य पर डाल दिया गया था, जो कि फर्म पर मुद्दा संख्या 3 (नकारात्मक रूप से तैयार) को साबित करने का बोझ था। निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर काम पूरा करना पूरी तरह से आवेदक-फर्म पर था और इसे साबित करने का बोझ गैर-आवेदक-विभाग पर नहीं डाला जा सकता था, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी पक्ष पर नकारात्मक साबित करने का दायित्व नहीं हो सकता है और इसलिए, विद्वान मध्यस्थ का यह निष्कर्ष कि गैर-आवेदक यह साबित करने में विफल रहे कि आवेदक-फर्म ने निर्धारित/विस्तारित अवधि के भीतर काम पूरा नहीं किया है। यह कानून के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के बिल्कुल विपरीत है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह रिकॉर्ड पर स्वीकृत तथ्य है कि ठेकेदार के कारण 55 दिनों की देरी के लिए, फर्म पर 0.10% की दर से जुर्माना लगाया गया था और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी। इसका मतलब यह है कि समय विस्तार दंड के साथ दिया गया था और इसलिए, समझौते का खंड 45 और 45-ए लागू नहीं होगा। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसलिए यह निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध है और 1996 के अधिनियम की धारा 28(3) का घोर उल्लंघन है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **(i)** ***तेल एवं प्राकृतिक***

गैस निगम लिमिटेड बनाम एसएडब्लयू पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705; (ii) मुरलीधर अग्रवाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य, (1974) 2 एससीसी 472; (iii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम वेस्टर्न जीईसीओ इंटरनेशनल लिमिटेड, (2014) 9 एससीसी 263 और (iv) छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य बनाम साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, एआईआर 2021 एससी 5503 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ठेकेदार/फर्म की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पुरोहित ने प्रस्तुत किया कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अब तक रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के साथ पूरी तरह से मेल खाता है क्योंकि रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 18 माह अर्थात 546 दिन थी। काम 1972 दिनों में 1168 दिनों की देरी से पूरा हुआ, जिसमें से केवल 55 दिनों की देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था और शेष पूरी देरी के लिए माना जाता है कि राज्य विभाग जिम्मेदार था। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया है कि ठेकेदार को 69,17,907/- रुपये का अतिरिक्त काम सौंपा गया था और इसलिए, अतिरिक्त काम के लिए फर्म को काम पूरा करने के लिए 267 अतिरिक्त दिन दिए जाने चाहिए थे। फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 813 दिन (546+267) होनी चाहिए तथा 1972 दिनों में से 1168 दिन घटाने पर गणना 804 दिन की आती है जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका है। मतलब, फर्म को काम पूरा करने के लिए 813 दिन उपलब्ध थे, जिसके मुकाबले उसने 804 दिनों में काम पूरा कर लिया है। इसलिए, किसी भी हद तक, यह नहीं माना जा सकता कि काम देरी से पूरा हुआ, जिसके लिए फर्म को जिम्मेदार माना जा सकता है। इसलिए, विद्वान मध्यस्थ ने फर्म को मूल्य वृद्धि राशि का पात्र माना और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ आपत्तियों को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए निष्कर्ष स्वयं विभाग के दस्तावेजों पर आधारित थे, जिसमें यह विशेष रूप से स्वीकार

किया गया था कि 1168 दिनों की देरी राज्य विभाग के लिए जिम्मेदार थी और 267 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए था फर्म को काम पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसलिए, विभाग अपने स्वयं के दस्तावेजों से बंधा होने के कारण यह आग्रह नहीं कर सकता कि उक्त दस्तावेजों पर विद्वान मध्यस्थ की निर्भरता खराब थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि उठाई गई कोई भी आपत्ति अधिनियम की धारा 34 के दायरे में नहीं आती है और इसलिए, उनकी अस्वीकृति पूरी तरह से वैध होने के कारण बरकरार रखी जानी चाहिए।

13. प्रत्युत्तर में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दस्तावेज़ अर्थात समय विस्तार आवेदन और बाधा विवरण, जैसा कि विद्वान मध्यस्थ ने भरोसा किया था, सिफारिश की प्रकृति में विभाग के अधिकारियों के बीच आंतरिक संचार थे और ये नहीं थे ऐसे आदेश जिन्हें साक्ष्य का एक टुकड़ा नहीं माना जा सकता था और इसलिए, विद्वान मध्यस्थ द्वारा यह मानने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि ठेकेदार देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं था।

14. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

15. उठाए गए आधारों पर निर्णय लेने से पहले, यह नोट करना प्रासंगिक है कि आदेश 41 नियम 27, सीपीसी के तहत एक आवेदन राज्य विभाग द्वारा वर्तमान अपील में संलग्न कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना आवेदन के साथ अनुलग्नक-ए/1 के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज़ कार्य की प्रगति के दौरान विभाग द्वारा फर्म को लिखे गए पांच पत्र हैं, जिसके तहत फर्म को मूल्य वृद्धि बिल, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि बुलाए जाने के बावजूद, फर्म प्रासंगिक समय पर मूल्य वृद्धि के लिए कोई भी बिल प्रस्तुत करने में विफल रही और इसलिए, मूल्य वृद्धि के बारे में उसके दावे पर बाद में विद्वान मध्यस्थ द्वारा विचार नहीं किया जा सका।

16. उपरोक्त आवेदन के अलावा, अपील के ज्ञापन में संशोधन के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि चूंकि कुछ दस्तावेजों को

रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की गई है, इसलिए उक्त दस्तावेजों को वर्तमान अपील में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और इसलिए, अपीलार्थीगण को अपील के वर्तमान ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दी जाए।

17. बहस के दौरान, विद्वान एएजी ने इन दोनों आवेदनों पर जोर नहीं दिया और इसलिए, इन्हें खारिज किया जाता है क्योंकि इन पर बल नहीं दिया गया।

18. विद्वान एएजी द्वारा उठाए गए इस आधार पर कि खंड 45 को विद्वान मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से लागू माना गया है, संविदा की निर्धारित अवधि की पहली दो शर्तों के 12 महीने से अधिक होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है और कार्य का मूल्यांकन 1 करोड़ रुपये से अधिक है। जहां तक तीसरी शर्त का प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि ठेकेदार की ओर से बिना किसी देरी के काम निर्धारित/विस्तारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह मुद्दा कि क्या काम पूरा करने में ठेकेदार की ओर से कोई देरी हुई थी, विद्वान मध्यस्थ द्वारा मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय लेते समय निपटाया गया है और यह विशेष रूप से माना गया है कि एक भी दिन की देरी नहीं हुई थी जिसके लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। विद्वान मध्यस्थ का उक्त निष्कर्ष दिनांक 01.10.2003 (प्रदर्श 20) और 06.10.2003 (प्रदर्श 5) के पत्रों पर आधारित है, जिसके तहत अधीक्षण अभियंता के साथ-साथ मुख्य अभियंता द्वारा विशेष रूप से यह देखा गया है कि कंपनी को जो अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया था, कार्य पूरा करने के लिए 267 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए था और उक्त अतिरिक्त दिनों की गणना करने पर एक भी दिन की देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा। इन दोनों पत्रों में यह भी विशेष रूप से देखा गया है कि कार्य पूरा होने में देरी के कारण राज्य विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिकार्ड पर लिए गए उक्त दो पत्र प्रदर्शों को ध्यान में रखते हुए विद्वान मध्यस्थ ने आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया और अभिनिर्धारित किया कि खण्ड 45 लागू होगा और ठेकेदार उक्त खंड के अनुसार मूल्य बढ़ोतरी का पात्र होगा। दिनांक 06.10.2003 (प्रदर्श 5) का पत्र जिसके तहत समय विस्तार मामला अग्रेषित/संस्तुत किया गया था, निम्नानुसार है।:

"फर्म द्वारा उक्त बाधाओं के कारण कार्य पूर्ण करने में कुल 1972 दिवस का समय लिया गया जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य 546 दिन में पूर्ण करना था। अनुबन्ध अनुसार रूपये 14152086/- का कार्य आवंटित था जिसे 546 दिन में पूर्ण करना था लेकिन फर्म से रूपये 21069933/- का अतिरिक्त कार्य भी करवा लिया गया। **उक्त अतिरिक्त कार्य के लिये फर्म को 267 दिवस का समय और दिया जाना चाहिये था।** इस प्रकार कार्य 546+267=813 दिवस में पूर्ण करना था। कार्य में कुल 1168 दिवस की बाधा उत्पन्न हुई है- अतः फर्म द्वारा कार्य 1972-1168=804 दिवस में पूर्ण किया है जो कि उचित है। **उपरोक्त वर्णित बाधाएं उचित एवं ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर है।** अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता ने यह प्रमाणित किया है कि **कार्य देरी से पूर्ण होने में राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई हैं।**"

(बल दिया गया)

19. उपरोक्त दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने मुद्दा संख्या 3 पर अपने निष्कर्ष निम्नानुसार निकाले:

"मैंने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया है और इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया है। डी.डब्ल्यू.-1 द्वारा अपनी जिरह में दिए गए उत्तर के अनुसार यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त पत्रों की सामग्री प्रदर्श-5 और प्रदर्श-20 सही हैं और उक्त पत्रों में ठेकेदार की ओर से 55 दिनों की देरी का कोई दावा नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में, मैं आवेदक के तर्कों से सहमत हूं कि उसने उक्त कार्य को छोड़कर 804 दिनों के भीतर पूरा कर लिया था, सरकार की ओर से 1168 दिनों की देरी को छोड़कर जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि उक्त कार्य को 813 दिनों के

भीतर पूरा किया जाना था। इस मुद्दे के तहत गैर-आवेदकों को यह साबित करना होगा कि आवेदक उक्त कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर पूरा करने में विफल रहा है। इस संबंध में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि राज्य सरकार ने 05.04.2003 तक समय विस्तार प्रदान किया है। इस प्रकार उक्त कार्य की विस्तारित अवधि 05.04.2003 तक समाप्त हो गयी। पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है कि कार्य 05.04.2003 तक पूरा हो चुका था। इस संबंध में, गैर-आवेदकों ने तर्क दिया कि सरकार ने 05.04.2003 तक समय बढ़ाया, लेकिन निविदा राशि का 0.10% जुर्माना लगाया, जिससे आवेदक मूल्य वृद्धि का लाभ पाने से वंचित हो गया। विस्तारित अवधि के संबंध में यह सर्वमान्य तथ्य है कि सरकार ने उक्त कार्य का समय 05.04.2003 तक बढ़ा दिया था, अतः इस संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। जुर्माने के प्रभाव के संबंध में पृथक मुद्दा क्रमांक 06 बनाया गया है, अतः मैं इस बिन्दु पर मुद्दा क्रमांक 06 के अंतर्गत चर्चा करूंगा। **अंत में मेरा मानना है कि गैर-आवेदक यह साबित करने में विफल रहे हैं कि आवेदक ने निर्धारित अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर उक्त कार्य पूरा नहीं किया है। लेकिन आवेदक ने विस्तारित अवधि के भीतर उक्त कार्य पूरा कर लिया।** इसके अलावा, मेरा मानना है कि आवेदक ने सरकार की ओर से 1168 दिनों की देरी को छोड़कर 804 दिनों के भीतर उक्त कार्य पूरा कर लिया। यह सर्वमान्य तथ्य है कि उक्त कार्य 813 दिवस के अन्दर पूर्ण करना था जबकि आवेदक ने उक्त कार्य निर्धारित अवधि से 9 दिवस पूर्व पूर्ण किया। इस प्रकार, गैर-आवेदक इस मुद्दे को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे हैं। इसलिए, मुद्दा क्रमांक 3 का निर्णय गैर-आवेदकों के खिलाफ किया जाता है।"

(बल दिया गया)

20. रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया है कि काम पूरा होने में कुल 1168 दिनों की देरी हुई, जिसमें से केवल 55 दिनों की देरी ठेकेदार के कारण हुई। कार्यकारी अभियंता द्वारा उच्च अधिकारियों को अनुशंसित बाधा विवरण के साथ समय विस्तार के लिए आवेदन को आवेदक द्वारा प्रदर्श-ए-16 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया था। आवेदन में देरी का विस्तृत और दिन-वार विवरण और इस तरह की देरी के कारणों का उल्लेख किया गया है। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त विवरण का निम्नानुसार पुनः उद्धृत किया गया है:

क्र. सं.	बाधा	अवधि		
		से	तक	दिन
1.	भूमि का मुआवजा न मिलने के कारण किसानों द्वारा कार्य में बाधा पहुँचाने के कारण	11-11-97	5-12-97	26 दिन
2.	विभाग द्वारा पानी तथा स्टील उपलब्ध न करवाने के कारण	21-1-98	11-3-98	50 दिन
3.	अर्थिंग व्यवस्था का कार्य न होने के कारण	12-3-98	30-4-98	50 दिन
4.	ड्राईंग में परिवर्तन के कारण	1-5-98	21-5-98	21 दिन
5.	आंधियों से रास्ते बंद होने से मैटिरीयल की कैरिज न हो पाने के कारण	1-6-98	15-7-98	45 दिन
6.	डिलीवरी टैंक की ड्राईंग फाइनल होने से डिलीवरी टैंक के निशान न मिलने के कारण	1-8-98	9-10-98	70 दिन
7.	विभाग द्वारा पानी उपलब्ध न करवाने के कारण	7-12-98	16-12-98	10 दिन
8.	केन्द्रीय उद्योगशाला खण्ड द्वारा ट्रेस रेक के चैनल फिट न करने के कारण	30-12-98	3-1-99	5 दिन
9.	विभाग द्वारा पानी उपलब्ध न करवाने के कारण	18-4-99	15-5-99	28 दिन

10.	61x75/100=46 विभाग के पास L.O.C. का अभाव होने से पूरा भुगतान न मिलने के कारण (धीमी प्रगति, 75 प्रतिशत बाधा)	1-10-99	30-11-99	46 दिन
11.	कर्मचारी हड़ताल की वजह से इंजन बंद होने से पानी उपलब्ध न होने के कारण	22-1-2000	28-2-2000	38 दिन
12.	आंधियों से रास्ते बंद होने से मैटिरीयल की कैरिज न हो पाने के कारण	16-4-2000	30-8-2000	137 दिन
13.	विभाग के पास L.O.C. न होने के कारण	1-9-2000	31-10-2000	61 दिन
14.	खण्डीय स्टोर में सीमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण	1-11-2000	30-6-2001	242 दिन
15.	आंधियों से रास्ते बंद होने से मैटिरीयल कैरिज न हो सकने तथा विभाग द्वारा पानी उपलब्ध न करवाने के कारण	1-7-2001	11-8-2001	42 दिन
16.	विभाग के पास L.O.C. का अभाव होने के कारण भुगतान पूरा न मिलने के कारण धीमी प्रगति 75 प्रतिशत बाधा 162x75/100=122 दिन)	1-12-2001	11-5-2002	122 दिन
17.	आंधियों से रास्ते बंद होने के कारण मैटिरीयल की कैरिज न हो सकने के कारण	12-5-2002	8-9-2002	120 दिन
18.	ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण			55 दिन
	योग			1168दिन

21. समय विस्तार के लिए उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पर संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा की गई सिफारिश इस प्रकार थी:

"चूंकि ठेकेदार द्वारा बताया गया बाधा विवरण आंशिक रूप से वास्तविक है और ठेकेदार और विभाग के नियंत्रण से परे है। प्रारंभ में भूमि मालिकों ने काम पर आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया था। उसके बाद जल भत्ता में बदलाव के कारण पंपिंग स्टेशन के चित्र को संशोधित किया गया था जैसा कि राज्य सरकार का निर्णय है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में इस क्षेत्र में भारी हवा के तूफान आम हैं, जिसके कारण सड़कें आम तौर पर अवरुद्ध हो जाती हैं और सामग्री की ढुलाई मुश्किल हो जाती है। **कई बार पानी की आपूर्ति भी बाधित होती है। इसलिए इन कारणों को देखते हुए बाधा कथन वास्तविक है।** इसलिए केवल 10000/- रुपये के प्रतीकात्मक दंड के साथ 5-4-2003 तक समय सीमा में विस्तार की सिफारिश की जाती है।

काम देरी से पूरा होने में विभाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।''

(बल दिया गया)

22. उपरोक्त दस्तावेज़ों अर्थात बाधा विवरण और संबंधित कार्यकारी अभियंता की सिफारिश, जिस पर विद्वान मध्यस्थ ने भरोसा किया है, का अवलोकन करने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिया गया निष्कर्ष पूरी तरह से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुरूप है। विभाग की स्वयं की विशिष्ट स्वीकारोक्ति के मद्देनजर कि ठेकेदार या राज्य विभाग के नियंत्रण से परे कारणों से काम में देरी हुई, विद्वान मध्यस्थ या वाणिज्यिक न्यायालय उक्त स्वीकारोक्ति के विपरीत किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे। विभाग स्वयं इस न्यायालय की विशिष्ट राय में सबसे **पहले**, वर्तमान मामले में कोई अन्य निष्कर्ष/दृष्टिकोण संभव नहीं था और **दूसरी** बात, भले ही कोई अन्य/दूसरा निष्कर्ष/दृष्टिकोण संभव हो, जैसा कि कानून का तय प्रस्ताव है, विद्वान मध्यस्थ द्वारा आये/लिये गये निष्कर्ष/विचार के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

23. परिणामतः, विद्वान मध्यस्थ का निष्कर्ष कि समझौते का खंड 45 वर्तमान मामले पर लागू होगा और ठेकेदार मूल्य वृद्धि राशि और राज्य द्वारा उठाए गए आपत्तियों को अस्वीकार करने का पात्र है। निम्न न्यायालय के निर्णय पर इस न्यायालय का किसी प्रकार हस्तक्षेप उचित नहीं है।

24. जहां तक विद्वान एएजी द्वारा उठाए गए आधार का प्रश्न है कि यह साबित करने का बोझ कि फर्म ने निर्धारित समय के भीतर काम पूरा नहीं किया था या विस्तारित अवधि गलत तरीके से राज्य पर डाल दी गई थी, यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट है कि दावा योग्य है फर्म द्वारा बढ़ाए गए मूल्य वृद्धि का दावा राज्य द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि काम निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं हुआ था और इसलिए, खंड 45 लागू नहीं होगा। यह कानून का मूल प्रस्ताव है कि जो पक्ष किसी तथ्य को पेश करता है, उस पर उसे साबित करने की जिम्मेदारी होती है। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा नहीं करने का तथ्य प्रत्यर्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसलिए, इसे साबित करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से उस पर थी। फर्म का मामला यह था कि उसने 804 दिनों के भीतर काम पूरा कर लिया था जो कि 813 दिनों की अवधि के भीतर था, वह अवधि जिसे मूल और फर्म को आवंटित अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए गणना/निर्धारित किया जाना चाहिए था। राज्य का बचाव था कि निर्धारित अवधि 546 दिन थी और फर्म ने उक्त अवधि के भीतर काम पूरा नहीं किया। इसलिए, उक्त तथ्य को साबित करने का दायित्व उचित रूप से प्रत्यर्थी-राज्य पर डाला गया था जिसने इसकी वकालत की थी। इसलिए, विद्वान एएजी द्वारा उठाए गए आधार को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

25. जहां तक फर्म पर जुर्माना लगाने का प्रश्न है को चुनौती न दिए जाने का संबंध है, तो इसका भी कोई परिणाम नहीं हो सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि फर्म की ओर से काम पूरा होने में कुछ देरी हुई, माना जाता है कि इसमें केवल 55 दिनों की देरी हुई थी। वर्तमान मामले में काम पूरा होने में कुल देरी 1168 दिनों की थी, जिसमें से केवल 55 दिनों के लिए विभाग द्वारा भी फर्म को जिम्मेदार माना गया था। जैसा कि **पी.एम. पॉल बनाम भारत संघ; एआईआर**

1989 एससी 1034, में अभिनर्धारित किया गया था। "वृद्धि" इस मुद्रास्फीति युग में किसी भी संविदा को निष्पादित करने में समय के अंतराल से उत्पन्न होने वाली एक सामान्य घटना है। मूल्य समायोजन/वृद्धि खंड को समझौतों में शामिल करना क्यों आवश्यक है और उक्त राशि क्यों दी जानी चाहिए, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम मैसर्स प्रोग्रेसिव एमवीआर (जेवी); (2018) 14 एससीसी 688** के मामले में टिप्पणी की थी, और इसे निम्नानुसार देखा गया:

> "…..आखिर मूल्य समायोजन देने का उद्देश्य क्या है? मूल्य समायोजन से संबंधित खंड इंगित करता है कि कुछ घटक जो श्रम घटक, सीमेंट घटक, इस्पात घटक, संयंत्र और मशीनरी और स्पेयर घटक, बिटुमेन घटक आदि जैसे परियोजनाओं के निष्पादन में जाते हैं, जहां तक उनकी कीमत का संबंध है, स्थिर नहीं रह सकते हैं। ऐसी संभावना है कि जिस तिथि से ठेकेदार द्वारा अपनी बोली में इन घटकों की कीमत उद्धृत की गई थी, उस तिथि से संविदा के निष्पादन के दौरान समय-समय पर उक्त कीमत में वृद्धि या कमी हो सकती है। इसी कारण से, मूल्य समायोजन से संबंधित खंड प्रदान किया गया है ताकि ठेकेदार को लागत में वृद्धि या गिरावट पर प्रभाव डाला जा सके।

26. माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, 1113 दिनों की देरी विभाग के कारण थी और फर्म को उक्त अवधि के लिए मूल्य वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि 55 दिनों की देरी फर्म के लिए जिम्मेदार थी, तो 1113 दिनों की विशाल अवधि के लिए मूल्य वृद्धि से कैसे इनकार किया जा सकता था, जिस देरी के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। **भारतीय खाद्य निगम बनाम अहमद एंड कंपनी और अन्य; (2006) 13 एससीसी 779,** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से माना कि संविदा में वृद्धि खंड की अनुपस्थिति में भी, यदि देरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार नहीं है, तो मध्यस्थ वृद्धि शुल्क देने के अपने अधिकार क्षेत्र में है। यह

रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया मामला है कि 1113 दिनों की देरी विभाग की ओर से हुई थी, ठेकेदार को मूल्य वृद्धि के दावे का निर्णय देना एक आवश्यक परिणाम था और विद्वान मध्यस्थ द्वारा उसी के निर्णय को विकृत या अवैध इसलिए नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

27. वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सरसरी तौर पर खारिज करने के आधार पर भी इस न्यायालय के पास कोई गुणागुण नहीं है क्योंकि दिनांक 25.01.2019 के आदेश के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाणिज्यिक न्यायालय ने, पूरी तरह से अधिनियम की धारा 34 के दायरे पर चर्चा और उपलब्ध दायरे के साथ विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद, आपत्तियों पर तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे। निचली अदालत ने सही माना कि उठाई गई कोई भी आपत्ति अधिनियम की धारा 34 के दायरे में नहीं आती है और इसलिए, दिया गया निर्णय किसी भी हस्तक्षेप के लायक नहीं है।

28. जहां तक अपीलार्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का प्रश्न है, कानून के तय किए गए प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि पार्टियों को नियंत्रित करने वाले संविदा की शर्तों के अनुसार निर्णय लेने में मध्यस्थ की ओर से विफलता निश्चित रूप से "पेटेंट अवैधता आधार" को आकर्षित करेंगे। कानून के इस प्रस्ताव पर भी कोई विवाद नहीं है कि जो निर्णय को देखने से ही प्रत्यक्ष तौर पर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, उसे सार्वजनिक हित में नहीं कहा जा सकता है और ऐसे निर्णय को निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से अवैध कहा जाएगा, जिससे वह "भारत की सार्वजनिक नीति" के विरुद्ध होने का आधार पर ध्यान खीचेंगे। लेकिन फिर, प्रश्न यह है कि क्या कानून का उक्त प्रस्ताव वर्तमान मामले पर लागू होगा। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में देखा गया है, वर्तमान मामले में विद्वान मध्यस्थ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष न तो समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं और न ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत हैं। निष्कर्ष स्वयं विभाग की विशिष्ट स्वीकृतियों पर आधारित हैं। इसलिए, कानून के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में इसे विकृत, स्पष्ट रूप से

अवैध या भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उद्धृत निर्णयों का वर्तमान मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

29. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, इस न्यायालय को विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित दिनांक 04.12.2014 के निर्णय और वाणिज्यिक न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2019 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

(रेखा बोराना), न्यायमूर्ति **(अरुण बंसली), न्यायमूर्ति**

Vij/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।